रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/ श्रावण 5, 1940
No. 511] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

Indiacode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 708(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में,-

(क) नियम 3 में, उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण I.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "भारत का निवासी" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक सौ बयासी दिन की अवधि तक भारत में रहा है।"

स्पष्टीकरण II.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत में किसी निदेशक के रहने के दिनों की संख्या की गणना करते समय 01.01.2018 से इस नियम की अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान निवास की भी गणना की जाएगी;

(ख) नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**15. अभिदाताओं और प्रथम निदेशकों का घोषणा-पत्र** – धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए घोषणा पत्र ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता और अनुच्छेद में उल्लिखित प्रत्येक प्रथम निदेशक द्वारा प्ररूप संख्या आईएनसी-9 में घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।";

(ग) प्ररूप संख्या आईएनसी-9 में, 'शपथ-पत्र' शब्द के स्थान पर 'घोषणा-पत्र' शब्द रखा जाएगा;

(घ) प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (स्पाईस) में, संलग्नकों की सूची में मद संख्या 3 में "प्रथम हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) और निदेशक (निदेशकों) द्वारा शपथ-पत्र और घोषणा-पत्र" शब्दों और कोष्ठकों के लिए "प्रथम हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) और निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, पार्ट-I, वॉल्यूम-II]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्या 250(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि. 955(अ)	27.7.2017
10.	सा.का.नि. 49(अ)	20.1.2018
11.	सा.का.नि. 284(अ)	23.3.2018

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014._

(a) in rule 3, for Explanation to sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"Explanation I. - For the purposes of this rule, the term "resident in India" means a person who has stayed in India for a period of not less than one hundred and eighty two days during the immediately preceding financial year.

Explanation II.- For the purposes of this rule, while counting the number of days of stay of a director in India for the financial year 2018-2019, any period of stay between 01.01.2018 till the date of notification of this rule shall also be counted";

(b) for rule 15, the following shall be substituted, namely:-

"15. Declaration from Subscribers and First Directors.- For the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 7, the declaration shall be submitted by each of the subscribers to the memorandum and each of the first directors named in the articles in Form No.INC-9." ;

(c) in Form No. INC-9, for the word 'Affidavit', the word 'Declaration' shall be substituted;

(d) in Form No. INC-32, (SPICe), in the List of Attachments, in item number 3, for the words and brackets "Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s)" the words and brackets "Declaration by first subscriber(s) and director(s)" shall be substituted.

[F. No. 1/13/2013-CL-V, part-I, Vol.II]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.30 15:23:25 +05'30'